

सार्वजनिक सूचना

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दवाओं और औषधियों के थोक व्यापारियों और डीलरों को शामिल करने के लिए पैरा 15.7.1 में प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में जनता से आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित करने के लिए राजपत्र अधिसूचना का.आ. 4585 (ई) दिनांक 21.12.2019 द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी की थी और इसे समाचार-पत्रों में प्रकाशित भी किया था।

कार्य पद्धति के अनुसार, 45 दिन की निर्धारित समय अवधि के अंदर प्राप्त सभी आपत्तियों/सुझावों को जाँच एवं सुनवाई बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बोर्ड की सुनवाई "वेबएक्स ऑन लाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग" पर ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से दिनांक 10.09.2020 (बृहस्पतिवार) को प्रातः 10.30 बजे से आयोजित की जाएगी।

कोई भी व्यक्ति, जिसने आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत किए हैं और जो बोर्ड के समक्ष अपना मौखिक निवेदन प्रस्तुत करने के इच्छुक हैं, वे अपनी उपलब्ध कराई गई ई-मेल आई.डी पर शेयर किए गए लिंक और मीटिंग आई.डी/पासवर्ड के माध्यम से वेबएक्स पर ऑनलाइन मीटिंग में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार भाग ले सकते हैं।

जाँच एवं सुनवाई बोर्ड हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम दि.वि.प्रा. की वेबसाइट अर्थात् www.dda.org.in पर ('हॉट लिंक्स' / 'पब्लिक नोटिस' शीर्ष के अंतर्गत) दिनांक 07.09.2020 को उपलब्ध होगा। संबंधित व्यक्तियों को भी उनके अभ्यावेदनों में दिए गए विवरण के अनुसार ई-मेल / एस.एम.एस के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

ऑनलाइन मीटिंग के दौरान किसी भी प्रकार की सहायता हेतु हैल्प लाइन नंबर :- 011-24698564

सम्पर्क करें:- श्री सूरज सिंह, सहायक निदेशक (प्रणाली),

सम्पर्क करें:- श्री विश्वास बंसल, सहायक निदेशक (प्रणाली)

कृपया  Google play के DDA ऐप्स पर अपना फीडबैक दें।

"कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट-www.dda.org.in देखिए या टोल फ्री नं 1800110332 डायल करें"